08/05/24 वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। तहसील
रा० रिपोर्ट प्राप्त। हमने
बहस उभयपक्ष की सुनी गई
वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15/5/24
को पेश हो

15/05/24 आज यह पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। हमने प्रकरण उनवानी सुरेशचन्द बनाम सरकार में दिनांक 8.5.24 को की गई बहस पर मनन किया गया दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 LRA में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि आ०खसरा नं० 294, 298, 329, 54, 219 वाके ग्राम नेवाडा में प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज व खातेदार दर्ज है। तथा उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की सहवन गलती से सुरेशचन्द पुत्र रामकरण के स्थान सुरेश चन्द पुत्र देवकरण व शिवकुमार पुत्र रामकरण के स्थान पर शिवकुमार पुत्र देवकरण कर दिया गया है व हरिकान्त पुत्र रामकरण के स्थान पर हरिकान्त पुत्र देवकरण तथा बहादुरलाल पुत्र रामकरण के स्थान पर बहादुरलाल पुत्र देवकरण कर दिया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा पिता के नाम को शुद्ध करने बाबत निवेदन किया गया है।

इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण 2 लगायत 12 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीगण के पिता का नाम शुद्ध किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई तथा रिपोर्ट तहसीलदार भुसावर की जाँच में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम देवकरण के स्थान रामकरण होना अवगत कराया है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

— — लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इसके अलावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड जैसे प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पहचान पत्र, मार्कशीट आदि में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकरन दर्ज पाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया उसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड, तहसीलदार जांच रिपोर्ट जवाब तरतीबी प्रतिवादीगण एवं राजस्व रिकार्ड का गहन अध्ययन किया गया उनके आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि वे आ०ख०नं० 294, 298, 329, 54, 219 वाके ग्राम रुंध नौवाड़ा में प्रार्थीगण सुरेशचन्द पुत्र देवकरण के स्थान पर सुरेशचन्द पुत्र रामकरन, शिवशंकर पुत्र देवकरण के स्थान पर शिवकुमार पुत्र रामकरन, हरिकान्त पुत्र देवकरन के स्थान पर हरिकान्त पुत्र रामकरन व बहादुरलाल पुत्र देवकरन के स्थान पर बहादुरलाल पुत्र रामकरन शुद्ध राजस्व रिकार्ड में अंकित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.24 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील आदेश दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)